स्थापना - 2015

विवरणिका

2023-24

राजकीय महाविद्यालय,सुमेरपुर
जिला-पाली

Phone : *02933 - 294252*

E-mail : *gcsumerpur@gmail.com*

Website : *https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcsumerpur*

Contact Us : – कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र (ARSS) के सामने,
जवाई बांध रोड , सुमेरपुर
जिला – पाली (राज.)
पिनकोड - 306902

GOVERNMENT COLLEGE SUMERPUR

विवरणिका में सम्मिलित सूचनाएं राजस्थान सरकार / निदेशालय,कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर / जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर / प्राचार्य,राजकीय महाविद्यालय,सुमेरपुर के आदेशाधीन परिवर्धनीय एवं संशोधनीय हैं |

(Students are directed to visit College Education, Rajasthan Website : **https://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/** and **College Website / Notice Board** *regularly* for all type of updates)

Published by Principal, Government College, Sumerpur (Pali).

संदेश

प्रिय विद्यार्थियों

महाविद्यालय के नवीन शैक्षणिक सत्र 2023-24 में मैं आप समस्त प्रवेशार्थियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनन्दन करती हूँ।

सुमेरपुर महाविद्यालय बहुसंकायी उच्च शिक्षण संस्थान है, यहां शैक्षणिक तथा सहशैक्षणिक गतिविधियों हेतु विपुल मात्रा में संसाधन विद्यमान हैं। आप इनका उपयोग करें, आप महाविद्यालय में न केवल अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर पायेंगे ,अपितु अपने व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास को भी संभव बनाकर भविष्य में नयी–नयी उपलब्धियाँ अर्जित कर सकेंगे।

महाविद्यालय में सामाजिक – आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की छात्रवृत्तियाँ, बुक बैंक, विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए देवनारायण योजना, अल्पसंख्यक एवं विशिष्ट योग्यजन छात्रवृत्तियाँ इत्यादि की व्यवस्था की है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर आप धनाभाव को उत्तरोत्तर शिक्षा ग्रहण करने में बाधक नहीं बनने दें। राजकीय महाविद्यालय, सुमेरपुर केवल उच्च शिक्षण संस्थान ही नहीं है, अपितु योग्य शिक्षकों द्वारा आपको अनुशासन तथा मानवीय मूल्यों को आत्मसात करवाया जाता है। मुझे आशा है, महाविद्यालय में पाठ्यक्रम सम्पन्न करने के पश्चात् आप एक परिपक्व एवं आत्मनिर्भर बनकर अपना भविष्य बनाने के लिए तत्पर होंगे।

आपसे आग्रह है कि रैगिंग एवं महिला उत्पीड़न जैसी बुराइयों से दूर रहकर अनुशासित विद्यार्थी बनें। यदि आप उक्त कृत्य में संलिप्त पाए गए तो सर्वोच्च न्यायालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशानुसार इस अपराध के लिए दण्ड के भागी होंगे। आप से अपेक्षा है कि परिसर को हरा–भरा एवं स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान करें।

राजकीय महाविद्यालय, सुमेरपुर का अंग बनकर आप अपना सर्वांगीण विकास करें, यही मेरी आपसे अपेक्षा है।

शुभकामनाओं के साथ...

डॉ. अनामिका शेखावत (कार्यवाहक प्राचार्य)

महाविद्यालय परिचय

राजकीय महाविद्यालय, सुमेरपुर पाली जिले का एक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी उच्च शिक्षण संस्थान है। पाली जिले के इस उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना 2015 में इसके अस्थाई भवन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुमेरपुर में स्नातक महाविद्यालय के रूप में हुई थी। 8 वर्ष पश्चात सत्र 2023 से यह महाविद्यालय जवाई बांध रोड स्थित अपने स्थाई भवन में संचालित होने लगा।

स्थापना वर्ष 2015 से ही इस सहशिक्षा (Co-Ed) महाविद्यालय में तीनों संकाय (कला ,वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय) संचालित हो रहे हैं। अब यह महाविद्यालय बहुसंकायी बनकर समाज में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें कला संकाय में 7, वाणिज्य में 3 तथा विज्ञान में 5 विषयों में अध्ययन कराया जाता है। प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर इस महाविद्यालय में वर्तमान में तीनों संकायों में लगभग 700 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

महाविद्यालय राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का अंग है। इसका प्रबन्धन और संचालन निदेशालय, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा होता है। महाविद्यालय के संकाय और कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियां राज्य सरकार करती है। महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क, अवकाश आदि से संबंधित सभी नियम– उपनियम राज्य सरकार बनाती है। महाविद्यालय के दैनंदिन प्रशासन के दायित्व का निर्वहन राज्य शासन द्वारा नियोजित प्राचार्य और उपाचार्य करते हैं।

महाविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से संबद्ध है। इसी के पाठ्यक्रम महाविद्यालय में प्रभावी हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को केन्द्र में रखकर महाविद्यालय में अनेक प्रकार की गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय में रैगिंग लेना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम , 2009 के अंतर्गत कानूनन अपराध है।महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थीं को लज्जित करना,उसमें भय की भावना उत्पन्न करना ,उसे शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाना आदि रैगिंग के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे विद्यार्थी, जो इस कृत्य में लिप्त पाए जाएंगे,उनके विरूद्ध यथाविधि कार्यवाही की जाएगी।

महाविद्यालय में रैंगिंग रोकने हेतु निम्न समिति गठित की गई है।

1 **श्री राजेश कुमार मीना** (संयोजक)

2 **श्रीमती रेणु कुमारी** (सदस्य)

3 **श्री धीरज कुमार** (सदस्य)

4 **डॉ. तरुणा शर्मा** (सदस्य)

विद्यार्थी 02933-294252 पर शिकायत भी कर सकते हैं।

महिला उत्पीडन शिकायत निवारण समिति

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रायों की यौन उत्पीडन सम्बन्धी शिकायतों के निवारण हेतु इस समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश पर किया गया है | अच्छी तरह जान लें,ये सभी यौन उत्पीडन है :-

- छूना या छूने की कोशिश करना।
- बोलकर या बिना बोले, भद्दे इशारे या अंग प्रदर्शन करना।
- लगातार घूरना।
- फूहड़ मज़ाक करना।
- मेज़, दीवार आदि पर अश्लील बातें लिखना।
- व्यक्तिगत जीवन के बारे में अफवाहें फैलाना।
- पीछा करना।
- महाविद्यालय समय के बाद या अपने घर बुलाकर काम करने के बहाने अभद्र व्यवहार, यौन सम्पर्क का दबाव या अनुरोध।
- फोन पर अश्लील बातें करना या एस.एम.एस, एम.एम.एस. इत्यादि करना।
- शारीरिक संपर्क या उसकी कोशिश।
- अश्लील चर्चा करना।
- कामुक (अश्लील चित्र), फोटो, पोस्टर दिखाना।

ऐसा कोई भी अन्य अश्लील या अभद्र व्यवहार जिस पर महिलाओं को आपत्ति हो , वह यौन उत्पीडन है | इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी |

धूम्रपान रोकथाम

महाविद्यालय परिसर में तम्बाकू एवं इससे निर्मित उत्पादों का सेवन पूर्णतया वर्जित है। परिसर में तम्बाकू सेवन एवं धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी एवं यथानियम दंडित किया जाएगा।

महाविद्यालय पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र है| महाविद्यालय परिसर में पॉलिथीन का प्रयोग वर्जित है |

PRINCIPAL & TEACHING - STAFF

S.No	NAME	DESIGNATION	SUBJECT	HOME DISTRICT	DATE OF JOINING (COLLEGE EDU.)
1.	VACANT	**Principal**			
2.	Dr. Anamika Shekhawat	Assistant Professor	Economics	Bikaner	11 December 2017
3.	Dr. Heera Lal	Assistant Professor	Botany	Barmer	03 October 2018
4.	Mr. Hitendra Singh	Assistant Professor	Chemistry	Phalodi	26 September 2022
5.	Mr. Rajesh Kumar Meena	Assistant Professor	Mathematics	Alwar	26 September 2022
6.	Mr. Rahul Palsaniya	Assistant Professor	Physics	Jaipur Rural	29 September 2022
7.	Mrs. Renu Kumari	Assistant Professor	Botany	Jhunjhunu	10 October 2022
8.	Mr. Dheeraj Kumar	Assistant Professor	History	Bikaner	19 October 2022
9.	Mr. Rohitash Jat	Assistant Professor	English Lit.	Jaipur Rural	15 December 2022
10.	Dr. Taruna Sharma	Assistant Professor	Geography	Jodhpur Urban	25 February 2023
11.	Mr. Navin Chand Meena	Assistant Professor	ABST	Jaipur Rural	28 February 2023
12.	Mr. Vishnu Kumar Sharma	Assistant Professor	Hindi Lit.	Baran	04 September 2023
13.	Mrs. Karishma	Assistant Professor	Bus. Adm.	Sirohi	March 2024
14.	VACANT	Assistant Professor	Sanskrit Lit.		
15.	VACANT	Assistant Professor	Political Sci.		
16.	VACANT	Assistant Professor	Zoology		
17.	VACANT	Assistant Professor	EAFM		

NON-TEACHING STAFF

S. No.	NAME OF POST	NO. OF SANCTIONED POSTS	NO. OF WORKING POSTS	NO. OF VACANT POSTS
1.	**Librarian**	1	0	1
2.	**P. T. I.**	1	0	1
3.	**A.A.O.**	1	0	1
4.	**Stenographer**	1	0	1
5.	**U.D.C.**	1	1	0
6.	**L.D.C.**	2	1	1
7.	**Lab Assistant**	2	0	2
8.	**Lab Bearer**	2	0	2
9.	**Book Lifter**	1	0	1
10.	**Class IV**	3	0	3

Three – Year (6 – Semester) CBCS UG Programme

The following Scheme of Examination and Guidelines for UG Programmes based on Semester and Choice Based Credit System of NEP-2020 will be applicable from Academic Year 2023-24.

Basic Structure : Distribution of Courses

1	Ability Enhancement Compulsory Course (AECC)	2 Papers of 2 Credits each (One Paper in Semester I & One Paper in Semester II)	2×2 = 4 Credits
2	Skill-Enhancement Course (SEC)	4 Papers of 2 Credits each (One Paper in Every Semester From III to VI)	4×2 = 8 Credits
3	Discipline Centric Core (DCC)	12 Papers of 6 Credits each (Three Papers in Every Semester From I to IV)	12×6 = 72 Credits
4	Discipline Specific Elective (DSE)	6 Papers of 6 Credits each (Three Papers in Semester V & Three Papers in Semester VI)	6×6 = 36 Credits
TOTAL CREDITS (AECC+SEC+DCC+DSE)			120 CREDITS

SEMESTER	DCC (6 Credits/DCC)	AECC (2 Credits/AECC)	SEC (2 Credits/SEC)	DSE (6 Credits/DSE)	CREDITS
I SEM.	DCC -1 A DCC -2 A DCC -3 A	AECC – 1 (BSc & BCom : Gen. Eng.) (BA : Gen. Hindi)			20
II SEM.	DCC -1 B DCC -2 B DCC -3 B	AECC – 2 (BSc & BCom : Gen. Hindi) (BA : Gen. Eng.)			20
III SEM.	DCC -1 C DCC -2 C DCC -3 C		SEC - 1		20
IV SEM.	DCC -1 D DCC -2 D DCC -3 D		SEC - 2		20
V SEM.			SEC - 3	DSE -1 A DSE -2 A DSE -3 A	20
VI SEM.			SEC - 4	DSE -1 B DSE -2 B DSE -3 B	20
TOTAL CREDITS (SEM. I – SEM. VI)					120

List of Disciplines/Subjects of the B.A/B.Com./B.Sc. Courses offered by Govt. College Sumerpur (Pali)

Faculty of Arts	Faculty of Commerce	Faculty of Science
Select *any three* Disciplines/Subjects from the following * Economics * History * Geography * Political Science * English Literature * Hindi Literature * Sanskrit Literature **NOTE** - *Literature Subject cannot be taken more than one.*	* Accountancy and Business Statistics (ABST) * Business Administration * Economic Administration and Financial Management (EAFM)	Select *any one* Group from the following *Maths Group : Physics,Chemistry,Maths *Bio Group : Botany,Zoology,Chemistry

Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) [Semester I & II] :-

General Hindi/General English

Academic Year : Two consecutive (One Odd/Summer/पावस + One Even/Spring/बसंत) Semesters constitute one academic year.

Semester : Each Semester will consist of 15-18 weeks of academic work equivalent to 90 actual teaching days.

Choice Based Credit System (CBCS) : The CBCS provides choice to students to select from the prescribed elective,ability and skill enhancement courses.

A Student needs to select three **Discipline Centric Core (DCC)** Courses in which he/she intends to opt core courses out of the core courses offered by College.These Core Courses will continue to be part of the programme during I, II, III, IV semester to get 72 credits of DCC.The core courses will be allotted to students on the basis of merit and availability of seats in the College.

A Student needs to select three **Discipline Specific Elective (DSE)** Courses offered by the College during V and VI semester to get 36 credits of DSE.

Each student has to complete two **Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC)** of 4 credits (two credits in the semester I and two credits in the semester II)

A Student has to take one **Skill Enhancement Course (SEC)** of two credits in every semesters from III to VI semester (total four courses and 8 credits).These courses can be opted from the pool of skill enhancement courses provided by the JNVU.

A Student has to earn total 120 credits in his/her three year (six semesters) UG Degree Programme, 20 credits from each semester. These 120 credits to be earned from different type of courses viz. 72 credits from DCC, 36 credits from DSE , 4 credits from AECC and 8 credits from SEC.

Examination and Assessment : Students'examination and assessment Procedure of All courses (DCC/DSE/AECC/SEC) will involve the following two components :

(i) Continuous Assessment (CA) : It will have 30 % weightage of the Maximum Marks of that particular course. For the sake of convenience, the CA of 30 Marks may be expanded to 100 marks which have the following components :

(a) Quizzes of 30 Marks

(b) Mid-term of 70 Marks

(ii) End of Semester Examination (EoSE) : It will have 70 % weightage of the Maximum Marks of that particular course. A Student acquiring minimum of 40 % in total of the CA of individual course is eligible to appear in the End of Semester Examination (EoSE).

Minimum Credit requirement for qualifying for Award of an Academic Qualification, such as B.A./B.Sc./B.Com. Certificate, Diploma and Degree, are described in the table below.

Duration	Minimum Credits
Two Semester (Level 4.5) Certificate	40 of Level 4.5 (including 4 credits AECC) followed by an exit
Exit with Certificate and Entry with Certificate for Diploma	
Four Semester (Level 4.5 and 5) Diploma	40 of Level 4.5 (including 4 credits AECC) and 40 of Level 5 (including 4 credits SEC) followed by an exit
Exit with Diploma and Entry with Diploma for Degree	
Six Semester/Three Year (Level 4.5, 5 and 5.5) Bachelor Degree with chosen Three Disciplines. Example : B.Sc. – Physics,Chemistry,Mathematics (Disciplines belong to Same Faculty)	40 of Level 4.5 and 40 of Level 5 and 40 of Level 5.5 These shall include earning 24 credits of DCC in each of the three chosen disciplines and 4 credits of AECC and 8 credits of SEC and 36 credits of DSE of chosen disciplines.
Exit with multidisciplinary UG Degree on completion of Six Semester with 120 Credits	

टिप्पणियां

1. यदि किसी विषय में प्रवेशार्थियों की संख्या निर्धारित से कम हुई तो यह विषय उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।

2. यदि किसी विषय में प्रवेशार्थियों की संख्या निर्धारित से अधिक हुई तो प्रवेशार्थियों को अपना विषय परिवर्तित करना होगा। इसलिए प्रवेशार्थी अपने प्रवेश आवेदन पत्र में कुछ अतिरिक्त विषय संयोजन वरीयता क्रम में भरें।

3. यदि कोई विद्यार्थी अपनी इच्छा से विषय बदलना चाहेगा तो उसे रूपये 200/– (दो सौ रूपये) शुल्क जमा करवाना होगा। विषय परिवर्तन निर्धारित तिथि तक ही किया जा सकेगा। विषय में रिक्त स्थान होने पर ही आवेदन स्वीकार्य होंगे।

प्रवेश क्षमता

महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमो एवं विषयों में प्रवेश क्षमता इस प्रकार हैं :-

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता
1	कला स्नातक (B.A.) प्रथम वर्ष	160
2	वाणिज्य स्नातक (B.Com.) प्रथम वर्ष	80
3	विज्ञान स्नातक (B.Sc.) प्रथम वर्ष	
	• गणित वर्ग	70
	• जीव विज्ञान वर्ग	70

नोट :- विभिन्न संकायों /कक्षाओं /विषयों में निर्धारित स्थानों में निदेशालय के निर्देशानुसार परिवर्तन संभव है |

उपस्थिति

1. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय के किसी भी नियमित पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थी के लिए प्रत्येक प्रश्न–पत्र में प्रतिवर्ष आयोजित कुल कालांशों (जिसमें ट्यूटोरियल्स तथा प्रायोगिक कालांश सम्मिलित हैं) की कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

2. प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय के वर्तमान उपस्थिति नियमों एवं उनमें समय–समय पर किये गये रूपान्तरण एवं परिवर्तनों से आबद्ध होगा।

3. प्रत्येक विद्यार्थी अपनी उपस्थिति के बारे में स्वयं संबन्धित प्राध्यापकों से जानकारी प्राप्त करेगा एवं प्रत्येक प्रश्न–पत्र के अनुसार उपस्थिति का लेखा–जोखा रखेगा। यह जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं की होगी।

4. जो छात्र संस्थान के अधिकारियों द्वारा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अनुमत सहपाठ्यक्रम गतिविधियो – जैसे खेलकूद, गणतन्त्र दिवस परेड़, शैक्षणिक यात्रा आदि में प्रतिनिधित्व करने के लिए महाविद्यालय/ जिला स्तर पर भेजे जायेंगे, उन्हें उपर्युक्त गतिविधियों के कारण अनुपस्थिति के समय कक्षा में दिये गये व्याख्यान के बराबर उपस्थिति का लाभ दिया जायेगा। इसमें यात्रा के दिन भी सम्मिलित किये जायेंगे पर यह सुविधा एक शैक्षणिक वर्ष की कुल अवधि में अधिकतम 15 अनुपस्थिति के दिनों के लिए ही दी जायेगी।

5. जो परीक्षार्थी उपर्युक्त अपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है उसे परीक्षा में सम्मलित होने से रोक दिया जायेगा।

6. ऐसे विद्यार्थी जिसे अपेक्षित उपस्थिति की कमी के कारण नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मलित होने से रोका गया है, उन पाठ्यक्रमों में जिनमें स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के बैठने का विधान है,उसी वर्ष स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है,यदि वह लिखित में आवेदन करे।

7. स्नातक द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के प्रवेशार्थी भी 1 जुलाई से कक्षाओं में नियमित उपस्थिति हों।इनकी उपस्थिति की गणना इसी तिथि से की जायेगी।

अनुशासन

(अ) सामान्य अनुशासन विद्यार्थियों द्वारा अच्छे व्यवहार की अनुपालना है |अनुशासनहीनता में निम्नलिखित व्यवहार सम्मिलित है :-

1. उपस्थिति में लगातार अनियमितता, सामूहिक रूप से कक्षाएं छोड़ना और प्रदत्त कार्य में लापरवाही करना।
2. कक्षा, कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, खेलकूद के मैदान, महाविद्यालय परिसर, प्रशासनिक कार्यालय और परिसर में अशान्ति उत्पन्न करना या बाधा डालना या उपद्रव करना।
3. महाविद्यालय के तत्कालीन प्रभारी के आदेशों और नियमों की अवज्ञा करना तथा उन्हें चुनौती देना।
4. सभी प्रकार की जांच परीक्षाओं, परीक्षा–कार्यों, पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा सहपाठ्यक्रम संबंधी कृत्यों, छात्रसंघ के चुनावों इत्यादि में दुराचरण,दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का उपयोग करना।
5. महाविद्यालय के शैक्षणिक, अशैक्षणिक कर्मचारियों अथवा किसी सहपाठी के प्रति दुर्व्यवहार या दुराचरण करना।
6. महाविद्यालय की सम्पत्ति (जिसमें पुस्तकालय की पुस्तकें तथा सामयिक पत्रिकाएं सम्मलित हैं) को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना अथवा उन पर कुचित्र अंकित करना, अपशब्द लिखना अथवा उनका कोई अन्य दुरूपयोग करना।
7. भ्रामक प्रचार या अफवाहें फैलाना/भड़काना या उकसाना।
8. महाविद्यालय प्रांगण या परिसर में नशीला पेय या मादक औषधि/सामग्री या धूम्रपान करना।
9. मांगने पर परिचय–पत्र प्रस्तुत करने से इन्कार करना।
10. अध्ययनकाल में परिसर या परिसर के बाहर अपराध या किसी प्रकार के अपराधिक/दण्डनीय कृत्यों में संलग्न होना।
11. मद 2 में उल्लिखित स्थानों में अपने पास अस्त्र–शस्त्र रखना।
12. किसी अवसर पर छद्म पहचान का उपयोग करना (Impersonation)
13. उपर्युक्त कृत्यों में से किसी के भी संबंध में अन्य व्यक्ति को उत्तेजित करना/उकसाना।

(ब) दंड प्रावधान :-

अनुशासन के दोषी विद्यार्थी को अनशासन समिति की अनुशंसा पर अध्यादेश 88 के अनुसार दण्डित किया जायेगा। अध्यादेश 88 का अंश निम्नानुसार है :

Ordinance 88

1. When a student has been found guilty of grave misconduct or of persistent negligence of work, the Principal of the college at which he/she is studying according to the nature and gravity of the offence may

(a) Expel him for not less than a month or
(b) Rusticate him for a period not less than six months but not exceeding one academic year, or
(c) Disqualify such a student for appearing at the next examination.

2. No student who has been so expelled be admitted to another college without the permission ofthe principal of the aforesaid college and no student who has been so rusticated shall be admitted to another college within the period of his rustication.

(स) महाविद्यालय के अन्दर या बाहर कहीं भी रैगिंग लेना मना है | यदि कोई विद्यार्थी रैगिंग लेते पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी |

संसाधन एवं गतिविधियाँ

पुस्तकालय

किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान की श्रेष्ठता का एक पैमाना उसका पुस्तकालय है। महाविद्यालय के स्नातक होने के कारण यहां उच्च स्तरीय संदर्भ ग्रंथ एवं शोध पत्रिकाओं का अभाव है। फिर भी यहां काफी पुस्तकें हैं, जिनमें से कुछ सामान्य ज्ञान, कुछ संदर्भ ग्रंथ तो कई पाठ्यक्रम की पुस्तकें संग्रहित हैं जो आपकी ज्ञान पिपासा को शान्त करने के लिए पर्याप्त हैं। सभी विषयों की अद्यतन पुस्तकें और पत्र–पत्रिकाएं यहाँ मंगवायी जाती है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि पुस्तकालय की सेवाओं का लाभ उठाते समय निम्न नियमों की अनुपालना अवश्य करें :–

1. पुस्तकालय में प्रवेश परिचय–पत्र के साथ ही करें। पुस्तक आदान–प्रदान शनिवार के अतिरिक्त प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक किया जायेगा।
2. अपनी छोटी नोट बुक के अतिरिक्त, जो भी सामग्री आपके पास है, उसे प्रवेश द्वार पर जमा करवा दें।
3. स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को दो उधार पत्रक पुस्तकें लेने के लिए दिये जाते है, उन्हें संभालकर रखें।
4. पुस्तकें 14 दिन के लिए दी जाती है, विलम्ब की स्थिति में 50 पैसा प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त शुल्क देय है।
5. पुस्तकें लेते समय अच्छी तरह से देख लें। कोई विकृति हो तो पुस्तकालयाध्यक्ष को सूचित करें अन्यथा आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6. पुस्तकें अहस्तांतरणीय हैं।
7. संदर्भ ग्रन्थ आपको नहीं दिये जायेंगे। आप चाहें तो वहीं उपयोग कर सकते हैं।
8. पुस्तकालय में प्रवेश और निकास के समय जांच के लिए प्रस्तुत होना बाध्यकारी है।

बुक बैंक (UGC)

जरूरतमंद विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से महाविद्यालय के पुस्तकालय में अलग से बुक बैंक की व्यवस्था की गई है। इस बैंक से उन विद्यार्थियों को सत्र भर के लिए निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती हैं, जिनके अभिभावकों की मासिक आय कम है। जरूरतमंद छात्र यथा समय निर्धारित आवेदन–पत्र पुस्तकालय में देकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

परिचय-पत्र

प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय शुल्क जमा करवाने पर एक परिचय–पत्र दिया जायेगा। महाविद्यालय में कभी भी विद्यार्थी से परिचय–पत्र दिखाने को कहा जा सकता है। परिचय–पत्र अत्यन्त सावधानी से संभालकर रखें। खो जाने पर तत्काल महाविद्यालय प्रशासन को सूचित करें। डुप्लीकेट परिचय–पत्र शुल्क जमा करवाने पर मिल सकेगा।

रेल/बस कन्सेशन सुविधा

रेल या बस कन्सेशन की सुविधा महाविद्यालय अपने नियमित छात्रों को दीर्घ अवकाशों (दीपावली/ शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन अवकाश) में स्थाई निवास (जो प्रवेश आवेदन–पत्र में अंकित हो) पर जाने, विभिन्न प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु जाने, अधिकृत भ्रमण पर जाने और महाविद्यालय से सम्बन्धित कोई परीक्षा देने जाने पर देता है। कन्सेशन चाहने वाले विद्यार्थी को यात्रा से सात दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य को आवेदन करना होगा।

खेलकूद

सार्वभौमिक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। महाविद्यालय स्तर पर बौद्धिक व मानसिक कौशल को पूर्णता प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को समर्पित विभिन्न खेलकूद गतिविधियों की सुविधा उन्हें प्रदान की जाती है। यद्यपि महाविद्यालय शैशवावस्था में ही है और यहां संसाधन विकसित हो रहे हैं। फिर भी विभिन्न मैदानी एवं इंडोर खेलों के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबाल, एथलेटिक्स जैसी मैदानी खेल गतिविधियों के साथ–साथ बैडमिंटन, शतरंज, कैरम इत्यादि इंडोर खेलों में सहभागिता कर सकते हैं। विभिन्न खेलों में अन्तर्दलीय स्पर्द्धाओं का आयोजन कर खेल प्रतिभाओं को स्वतंत्र सहभागिता का अवसर दिया जाता है।

विगत शैक्षणिक सत्रों में महाविद्यालय के खिलाडियों ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर की अन्तर्महाविद्यालय व अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में सहभागिता कर अनेक पदक जीतकर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है।

युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ

राज्य सरकार की उच्च शिक्षा नीति द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस हेतु महाविद्यालय स्तर पर युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ प्रथम वर्ष के नवप्रवेशित विद्यार्थियों को काउन्सलिंग द्वारा महाविद्यालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों में से प्राथमिकता के आधार पर निम्न में से एक का अनिवार्यतः चयन सुनिश्चित करता हैं –

1. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)
2. रोवर/रेंजर
3. युवा विकास केन्द्र (YDC)
4. महिला प्रकोष्ठ (केवल छात्राओं के लिए)
5. मानवाधिकार क्लब

इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी प्रथम वर्ष से ही अपने शैक्षिक, भौतिक, सांस्कृतिक तथा कैरियर/रोजगार संबंधी ज्ञान अर्जित कर अपना सर्वांगीण विकास कर सकेगा। इनका विवरण इस प्रकार है :

राष्ट्रीय सेवा योजना

भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय ने सन् 1969 में नीतिगत निर्णय के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की स्थापना की गई। इसका नीति वाक्य ''NOT ME BUT YOU" अर्थात् ''मैं नहीं, आप'' है, जिसमें स्वयंसेवक प्रतिज्ञा लेता है कि वह समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। महाविद्यालय में NSS की एक इकाई संचालित हैं, जिनमें प्रति वर्ष 100 विद्यार्थी पंजीकृत किये जाते हैं। NSS के स्वयंसेवक बनकर आप न केवल राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे, अपितु भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित होकर "NOT ME BUT YOU" तथा "EDUCATION THROUGH SERVICE" के सिद्धान्तों को साकार कर पाएंगे।

रोवर / रेंजर (Rover / Ranger)

महाविद्यालय में विद्यार्थी को अपने कौशल का विकास करने के लिए एक और मंच प्रदान किया गया है। यह है – छात्रों के लिए रोवर एवं छात्राओं के लिए रेंजर। इस मंच के माध्यम से भी विद्यार्थी पर्वतारोहण, शिलारोहण, दीवाररोहण, तैराकी, इत्यादि गतितिधियों के द्वारा शारीरिक तथा सह शैक्षणिक गतिविधियों गतिविधियों से बौद्धिक विकास कर सकता है। इस मंच के माध्यम से विद्यार्थियों में मानवीय संवेदनाओं का संचार कर उन्हें स्वावलम्बन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व, इत्यादि का पाठ पढाया जाता है। इसके माध्यम से स्वयंसेवी को प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा का अवसर प्राप्त होता है।

युवा विकास केंद्र (YDC)

राज्य सरकार ने महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को रोजगारोन्मुखी कौशल अभिवृद्धि, व्यक्तित्व विकास, स्वयं के रूचि के व्यवसाय खोजने व सामाजिक कार्यों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु युवा विकास केन्द्र स्थापित किया है। इसके अन्तर्गत वर्ष भर विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सेमीनार का आयोजन किया जाता है जो कि विषयपरक वार्ता कर छात्र–छात्राओं की समस्याओं के निराकरण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। साथ ही छात्र–छात्राओं को इस हेतु साहित्य भी प्रदान किया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी रोजगारपरक जानकारी प्राप्त कर सकें। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सत्र में विभिन्न विषयों यथा रोजगार की तलाश कैसे की जाए, बायो–डाटा कैसे लिखा जाए, समय प्रबन्धन, तनाव प्रबन्धन, क्रोध प्रबन्धन, दूरभाष पर शिष्टाचार वार्ता, स्वास्थ्य सुधार व जागरूकता आदि पर व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं।

मानवाधिकार क्लब (Human Rights Club)

वर्तमान समय में सभी देशों में एवं सभी क्षेत्रों में मानवाधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन एक ज्वलंत विषय के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार एवं निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के दिशानिर्देशानुसार महाविद्यालय में भी मानवाधिकार क्लब का गठन किया गया है। इसमें विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से वार्ताओं, संगोष्ठियों इत्यादि का आयोजन किया जाता है।

योजना मंच (Planning Forum)

सभी संकायो के विद्यार्थियों में आयोजना विषयक जागरूकता एवं रूझान उत्पन्न करने तथा इस विषय की अद्यतन जानकारी देने के लिए योजना मंच सक्रिय रहता है। इस के लिए वार्ताऐं, प्रतियोगिताएँ आदि आयोजित की जाती है।

महिला प्रकोष्ठ

भारतीय संविधान नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक–राजनीतिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। परन्तु भारतीय समाज सदियों से पुरूष प्रधान रहा है। पुरूष प्रभुत्व वाली मानसिकता में परिवर्तन आसानी से सम्भव नहीं है।

राज्य सरकार ने महिलाओं में आत्मविश्वास तथा लिंगभेद रहित समाज के विकास के उद्देश्य से महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके लिए प्रत्येक छात्रा से शुल्क लिया जाता है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से सत्रपर्यन्त महिला व्यक्तित्व विकास से सम्बन्धित सेमीनार, गोष्ठियॉं, व्याख्यान आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। महाविद्यालय की अपेक्षा है कि छात्राएं इस प्रकोष्ठ की गतिविधियों में अधिकाधिक सहभागिता कर अपने व्यक्तित्व का विकास करें।

छात्र परामर्श केंद्र

महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं को उनकी रूचि के अनुसार व्यवसाय व नौकरी में समायोजित करने हेतु छात्र परामर्श केन्द्र की सुविधा भी उपलब्ध है। इस केन्द्र के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं तथा इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी से अवगत कराया जाता है। साथ ही विभिन्न उद्यमियों, बीमा कम्पनियों, बैंक व प्रतिष्ठान तथा रोजगार कार्यालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने में परामर्श प्रदान किया जाता है।

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजन

महाविद्यालय द्वारा विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अन्तर्गत वाद–विवाद, सामान्य ज्ञान, निबन्ध, भाषण, संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है तथा पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। विभिन्न राज्य स्तरीय, अन्तर विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

छात्रसंघ

राज्य सरकार ने महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में ''छात्रसंघ'' की स्थापना की है। हमारे महाविद्यालय में भी इसकी अनुपालना में ''छात्रसंघ'' की व्यवस्था है। इसके चार पदाधिकारी – अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव को विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं।विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के रूप में छात्र–संघ का प्रमुख दायित्व महाविद्यालय प्रशासन के साथ मिल–जुलकर प्रतिवर्ष साहित्यिक, सांस्कृतिक, क्रीड़ा व अन्य गतिविधियों को छात्रोपयोगी व उत्साहवर्द्धक बनाना होता हैं। महाविद्यालय के दैनन्दिन प्रशासन में छात्रों को उचित स्थान प्रदान करने में भी छात्र–संघ का सहयोग रहता हैं।

महाविद्यालय में छात्रसंघ का निर्वाचन उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार तथा निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान के आदेशों के अनुसार लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप कराए जाते हैं। आपसे अपेक्षा है कि छात्रसंघ के माध्यम से आप न केवल लोकतंत्रीय प्रक्रिया से परिचित हों, अपितु इसके तत्वावधान में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर अपने व्यक्तित्व का विकास करें।

अन्य सुविधाएँ

1. गर्ल्स कॉमन रूम : यह संस्था एक सह–शिक्षा महाविद्यालय है। छात्राओं को असुविधा न हो इसलिए गर्ल्स कॉमन रूम तथा पृथक प्रसाधन की सुविधा प्रदान की गई है। छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे रिक्त कालांश में व्यर्थ ही इधर–उधर ना घूमकर या तो पुस्तकालय या गर्ल्स कॉमन रूम में बैठकर समय का सदुपयोग करें।

2. वाहन पार्किंग : वाहनों की सुरक्षित पार्किंग के लिए मुख्य द्वार के समीप एक वाहन स्टेण्ड है। विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे अपने वाहन निर्धारित स्टेण्ड पर ही खडा करें, अन्यत्र नहीं। स्टेण्ड पर वे ही विद्यार्थी वाहन खडा कर सकेंगे जो निर्धारित शुल्क जमा कराएंगे। अन्य कोई वाहन खडा करेगा तो उससे नियमानुसार दण्डात्मक शुल्क लिया जाएगा।

3. सेमिनार कक्ष : महाविद्यालय में सत्रपर्यन्त होने वाली गतिविधियों– सेमीनार, संगोष्ठियों, विशेष व्याख्यान आदि के आयोजन के लिए आदर्श दशाओं के साथ सेमीनार कक्ष उपलब्ध है।

छात्रवृत्तियां

महाविद्यालय का कोई भी प्रतिभावान विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इस हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की विभिन्न श्रेणियाँ इस प्रकार हैं :

- निदेशालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा देय उत्तरमेट्रिक छात्रवृत्तियाँ
- अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ
- विशिष्ट योग्यजन छात्रवृत्तियाँ

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से पिछडे समस्त जाति एवं धर्म के विद्यर्थियों के लिए यह छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। यह मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस छात्रवृत्ति योजना की Monitoring मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है।

पात्रता :

1. सभी वर्गों (SC/ ST/ OBC/ SBC/ MINORITY/ GENERAL/EWS) के विद्यार्थी पात्र।
2. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की सीनियर सैकेण्डरी (विज्ञान/वाणिज्य/कला) परीक्षा 60 प्रतिशत से उत्तीर्ण विद्यार्थी।
3. माता–पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग द्वारा देय छात्रवृतियां

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्न उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं :

(अ) अनुसूचित जाति (SC)
(ब) अनुसूचित जनजाति (ST)
(स) अन्य पिछडा वर्ग (OBC)
(द) विशेष पिछडा वर्ग (SBC)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग द्वारा देय छात्रवृतियां

उपर्युक्त सभी छात्रवृत्तियों के लिए सत्र 2012–13 से ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है। अतः जो विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ लेना चाहता है, उसे ऑनलाइन आवेदन ही करना है अन्यथा उसका छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकार नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि ये छात्रवृत्तियाँ महाविद्यालय में नियमित अध्ययन करने तक देय होंगी।

उपर्युक्त सभी छात्रवृतियों के सम्बन्ध में सामान्य अनुदेश निम्न प्रकार हैं :

1. एक सत्र में एक विद्यार्थी एक से अधिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
2. माता–पिता के जीवित रहते अन्य व्यक्ति अभिभावक नहीं बन सकता है।
3. छात्रवृत्ति के लिए महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी ही पात्र है।
4. पूर्व सत्र में अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।
5. एक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर उसी स्तर के दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।
6. एक संकाय के प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने पर पुनः दूसरे संकाय के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा देय छात्रवृतियां

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु आर्थिक रूप से पिछडे अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी, इत्यादि) के योग्य छात्रों के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है ताकि उनको उच्च शिक्षा में अधिक अवसर मिलें तथा रोजगार पाने की संख्या में वृद्धि हो।

छात्रवृति से जुडी विशेष जानकारी के लिए सम्बंधित शिक्षक या शाखा से सम्पर्क करें |